न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-341RAAJodhpur2022-130RTA223 Kabaram Vs Amedaram etc

कबाराम पुत्र श्री मादाराम, जाति जाट, निवासी-
कुम्हारा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. अमेदराम पुत्र श्री तुलछाराम
2. फताराम पुत्र श्री तुलछाराम
   दोनो जातियान् जाट, निवासीगण- कुम्हारा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 जुलाई 2022 सहायक कलक्टर भोपालगढ राजस्व मूल वाद संख्या 74/2011 कबाराम बनाम अमेदराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 20 नवंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 74/2011 अनवान कबाराम बनाम अमेदराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 जुलाई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 1 अगस्त 2022 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 83 रकबा 22.06 बीघा ग्राम कुम्हारा तहसील भोपालढ के संबंध में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खसरा नं. 83 की पूर्वी माठ पर पानी को रोकने के लिए बने धोरे को प्रतिवादीगण द्वारा खुर्द-बुर्द नहीं किये जाने तथा धोरे पर लगे पेड़ो को नुकसान नहीं पहुचाने तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नही किये जाने की स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2022 को वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय ने वादी के वाद को पूर्ण स्वीकार नहीं करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है, जबकि वादी ने अपने जिम्मे रखे विवाघक संख्या एक व दो को अपने साक्ष्य से पूर्ण रूप से प्रमाणित कर दिया था तथा उसके खण्डन का कोई साक्ष्य प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं हुआ। इस कारण वादी का वाद पुर्ण रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय के लिए उनके द्वारा कायम किये गये प्रत्येक विवाघक का निर्णय किया जाना आवश्यक था। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा विद्वान सहायक कलक्टर ने किसी भी विवाघक को पत्रावली पर आये साक्ष्य के आधार पर निर्णय नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या एक व दो उनके जिम्मे रखे गये विवाघक को साबित नहीं कर पाये है तथा विवादित धोरा प्रतिवादीगण का होने की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। इसलिए विवाघक संख्या तीन व चार प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय किया जाना चाहिए था। विद्वान सहायक

राजस्व अपील प्राधिकारी

कलक्टर ने उक्त विवाधक पर कोई निर्णय नहीं लेने में भारी भूल की है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी को उसके खसरा नं. 83 का सीमाज्ञान करने का आदेश देने मे भारी भूल की गई है, जबकि विद्वान सहायक कलक्टर के समक्ष ऐसा कोई विवाधक नहीं था तथा उसके द्वारा कायम किये गये विवाधको से बाहर जाकर अन्य आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपने पत्थरगढी आदेश दिनांक 31.10.2011 की पालना करवाये जाने का आदेश भी तहसीलदार को देने में भारी भूल की गई है। रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की आड़ में अपीलांट के खेत में पानी रोकने के लिए बने धोरे को तोड़ने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से आंशिक रूप से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 25 जुलाई 2022 के ''वादी प्रतिवादीगण के खेतो के मध्य स्थिति 08-10 फीट चौड़े धोरे के विवाद के निस्तारण के लिए वादी अपने खेत खसरा नं. 83 का सीमांकन करवाये। तहसीलदार भोपालगढ को आदेशित किया जाता है कि खसरा नं. 83 रकबा 22.06 बीघा का सीमांकन करने के साथ-साथ न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 31.10.2011 की भी पालना करे।'' को निरस्त किया जावे तथा शेष भाग को यथावत रखते हुए वादी के खसरा नं. 83 के पूर्वी दिशा तरफ लगाया हुए धोरे को प्रतिवादीगणउ किसी भी प्रकार से खुर्द-बुर्द नहीं करने तथा धोरे पर लगे पेड़ो को प्रतिवादीगण नहीं काटे, न उनको नुकसान पहुंचावे तथा उक्त धोरे पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रतितवादीगण किसी भी प्रकार के पत्थर के टुकड़े नहीं रोपे ना उन पर तारबंदी करे का आदेश अपीलार्थी के पक्ष में फरमावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करतू हए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स द्वारा अपने खातेदारी खसरा नं. 82/1 की पत्थरगढी हेतु दिनांक 30.10.2011 को आदेश पारित करवाया, जिसे रुकवाने के लिए वादी/अपीलांट द्वारा हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट द्वारा पत्थरगढी के आदेश के विरुद्ध भी अपील प्रस्तुत की जो आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उभय पक्ष की मौजूदगी में पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये। अपीलांट को अपने खसरा नं. 83 में दर्ज रकबे से अधिक भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के खसरा 83 के सीमाकंन के पश्चात रेस्पोडेंट्स के खातेदारी भूमि की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट खसरा नं. 83 रकबा 22.06 बीघा तथा रेस्पोडेंट्स खसरा नं. 82/1 रकबा 13.06 बीघा के रेकर्डेड खातेदार दर्ज है। उक्त दोनो खसरान् स्वतंत्र सीमाओं से आबद्ध होकर राजस्व रेकर्ड में पृथक-पृथक तरमीम दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, किंतु विरचित

राजस्व अपील प्राधिकारी

विवादको से परे जाकर अपीलांट को अपने खसरा नं. 83 के सीमांकन करवाये जाने के आदेश का भी आदेश पारित किया गया है जो आदेश अदालत हाजा की राय में विधिसम्मत नहीं पाया जाता है।

जहां तक रेस्पोडेंट्स के खातेदारी खसरा नं. 82/1 की पत्थरगढी का प्रश्न है, रेस्पोडेंट अपने खातेदारी भूमि के संबंध में पारित पत्थरगढी आदेश दिनांक 31.10.2011 की पालना हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 74/2011 अनवान कबाराम बनाम अमेदराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 जुलाई 2022 में अंकित **वादी अपने खेत खसरा नं. 83 का सीमाकंन करवाये** को निरस्त किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोइ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-341RAAJodhpur2022-130RTA223 Kabaram Vs Amedaram et c

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
कबाराम पुत्र श्री मादारांम, जाति जाट, निवासी- कुम्हारा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।	**ब** **ना** **म**	1. अमेदराम पुत्र श्री तुलछाराम 2. फताराम पुत्र श्री तुलछाराम दोनो जातियान् जाट, निवासीगण- कुम्हारा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर। 11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 जुलाई 2022 सहायक कलक्टर भोपालगढ राजस्व मूल वाद संख्या 74/2011 कबाराम बनाम अमेदराम इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 20 नवंबर 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया मिनजानिब अपीलाण्ट, जगदीश प्रजापत अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 74/2011 अनवान कबाराम बनाम अमेदराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 जुलाई 2022 में अंकित **वादी अपने खेत खसरा नं. 83 का सीमाकंन करवाये** को निरस्त किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसल्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 20 नवंबर 2024 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस वाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर